रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236061
CG-DL-E-27052022-236061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

सा.का.नि. 399(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो, निदेशक (अयस्क प्रसाधन), मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), अयस्क प्रसाधन अधिकारी, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध निदेशक (अयस्क प्रसाधन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में निदेशक (अयस्क प्रसाधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, निदेशक (अयस्क प्रसाधन) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक (अयस्क प्रसाधन)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (182200-224100 रु.)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता के माध्यम से।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वायत्त शासी या कानूनी संगठन, लोक सेवा उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रु.) में या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पद पर तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अयस्क प्रसाधन या खनिज प्रसंस्करण या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खनिज इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, और (ii) विभिन्न अयस्कों और खनिजों के सज्जीकरण हेतु खनिज सज्जीकरण और/या खनिज अभिलक्षणन का संचालन करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या लोक सेवा उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्तशासी या वैधानिक संगठनों की किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या संयंत्र में अठारह वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रु.) में तीन वर्षों की नियमित सेवा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले विभागीय मुख्य अयस्क प्रशाधन अधिकारी पर बाहरी लोगो के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण-2: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22/4/2011-खान.III-भाग (3)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022.

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines, Director (Ore Dressing), Chief Ore Dressing Officer, Superintending Officer (Ore Dressing), Ore Dressing Officer, Deputy Ore Dressing Officer, Assistant ore Dressing Officer and Assistant Research Officer (Ore Dressing) Recruitment Rules, 2003, in so far as it relates to the post of Director (Ore Dressing), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Director (Ore Dressing) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.-—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification **.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax**.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director (Ore Dressing).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including Short Term Contract)/Promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation (including short term contract)/Promotion: Officers under the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institution; (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 14 in the pay matrix (Rs.144200-218200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience as below :- (i) Masters Degree in Ore Dressing or Mineral Processing or Geology or Chemistry or Physics from recognised University or Institution, OR Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution, and (ii) Eighteen years experience in a recognised laboratory or plant of Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institution or

autonomous or statutory organisation conducting Mineral Beneficiation and/or Mineral Characterization for beneficiation of various ores and minerals.

Note-1: Departmental Chief Ore Dressing Officer in the level 14 in the pay matrix (Rs.144200-218200) with three years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty eight years as on the closing of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 22/4/2011-M.III-Part (3)]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.27 22:43:34 +05'30'